सेवा सुरक्षा संस्कार

विश्व हिन्दू परिषद धर्मो रक्षति रक्षितः

पंजी.क्र. 13914

विश्व हिन्दू परिषद

बजरंग दल

महाकौशल प्रांत जिला-सिवनी (म.प्र.)

ॐ बजरंग दल सेवा सुरक्षा संस्कार

क्र. दिनांक 09/06/2026

प्रति,

श्रीमान थाना प्रभारी महोदय,
पुलिस थाना बरघाट, जिला सिवनी (म.प्र.)।

विषय – संदीप कुमार चंचल एवं यू एस एग्रो सीड्स कंपनी के खिलाफ BNS की धारा 196, 299, 300, 153A, 295A, के अन्तर्गत एफ आई आर दर्ज करने बावद्।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि दिनांक 06 जून 2026 को बरघाट स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में यू एस एग्रो सीड्स कंपनी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंच संचालन कर रहे **संदीप तिवारी** (अन्य विवरण अज्ञात) द्वारा भगवान श्रीराम एवं माता सीता के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। जिसका विडियो सोशल मीडिया मे भी वायरल हुआ है। जिसमें **"राम की वाइफ सीता. कइयों की लाइफ बिगाड़ेगी.."** जैसे शब्दों के माध्यम से सकल हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची है। भगवान मर्यादा पुरूषोत्तम श्री राम जी एवं पूज्यनीय माता सीता को सम्पूर्ण सनातन हिन्दू समाज में आदर्श, त्याग, मर्यादा एवं पतिव्रता नारी की प्रतिमूर्ति माना गया है। ऐसे में सार्वजनिक मंच से करोड़ों हिंदुओं के आराध्य भगवान श्रीराम एवं माता सीता जी के संबंध में मंच संचालक संदीप तिवारी द्वारा कथित अपमानजनक टिप्पणी करना धार्मिक भावनाओं को गंभीर रूप से आहत करने वाला दण्डनीय संवैधानिक अपराध किया गया है।

ज्ञात हो कि कार्यक्रम की अनुमति लेते समय संदीप कुमार चंचल द्वारा प्रशासन को लिखित मे दिया गया था, कि कार्यक्रम मे किसी भी समुदाय कि धार्मिक भावनाओं को ठेस नही पहुँचायी जायेगी। और पुलिस प्रशासन एवं प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में भगवान श्रीराम एवं माता सीता के खिलाफ मंच से आपत्तिजनक टिप्पणी करना सम्पूर्ण प्रशासन को चुनौती देना है।

अतः पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि संदीप कुमार चंचल एवं यू एस एग्रो सीड्स कंपनी के खिलाफ BNS की धारा 196, 299, 300, 153A, 295A, के अन्तर्गत एफ आई आर दर्ज कर तत्काल प्रभाव से संदीप कुमार की गिरफ्तारी जी जावे। एवं यू एस कम्पनी के सभी उत्पादों को मध्यप्रदेश में प्रतिबंधित किया जावे। एफ आई आर दर्ज न किये जाने पर विश्व हिन्दू परिषद एवं सकल हिन्दू समाज सम्पूर्ण जिले मे उग्र आन्दोलन करेगा जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही पुलिस प्रशासन की होगी।

कार्यालय थाना प्रभारी बरघाट

09/06/26

आवेदक
विश्व हिन्दू परिषद / बजरंगदल
प्रखण्ड बरघाट जिला सिवनी

प्रियविजय सिंह राजपूत
(प्रांत धर्मप्रसार प्रमुख)
9425546040

संलग्न प्रति –1 प्रशासन की दी गई अनुमति की छायाप्रति।

Scanned with OKEN Scanner

② कुमीत धुर्वे (बजरंग दल जिला सह संयोजक)
(६२६८०४७०२९)

③ घनश्याम माहुँवाडावे (जिला मंत्री विश्व हिन्दू परिषद सिवनी)
(9977611574)

④ योगेन्द्र पटले (कौशिकी-सालेह) 78797727503

⑤ विजय चौहान (प्रखण्ड मंत्री विश्व हिन्दू परिषद)
(9399833706)

कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी बरघाट, जिला - सिवनी

//आदेश//

क्रमांक/1557/रीडर-2/2026 बरघाट, दिनांक 04/06/2026

आवेदक संदीप कुमार चंचल एवं सीडवर्क्स इंटरनेशनल लिमिटेड तहसील बरघाट जिला सिवनी के द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि, दिनांक 06 जून 2026 दिन शनिवार को किसान सम्मेलन एवं भजन संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। जिसकी ध्वनि विस्तारक अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत आवेदक को उक्त कार्यक्रम की निम्नांकित शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है :-

क्र.	दिनांक	स्थान	आवेदित कार्यक्रम	समयावधि
1	06/06/2026	स्थान- तहसील ऑफिस के पास स्टेडियम ग्राउंड बरघाट हेतु बाबद।	किसानों को यू0एस0 362 शंकरधान की जानकारी सीडवर्क्स इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा एवं भजन संगीत कार्यक्रम का आयोजन हेतु बाबद।	समय- शाम - 06:00 बजे से रात्रि 09:30 बजे तक

नोट - आवेदक संदीप कुमार चंचल एवं सीडवर्क्स इंटरनेशनल लिमिटेड तहसील बरघाट जिला सिवनी के द्वारा किसान सम्मेलन एवं भजन संगीत कार्यक्रम का आयोजन शांतिपूर्ण रूप से एवं बिना किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाए. किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग न किया जावे एवं कानून व्यवस्था का पालन किया जावे।.

//अनुमति की शर्ते//

1. कोई भी व्यक्ति, संस्था आदि शासकीय भवन पर किसी भी प्रकार के पोस्टर, बैनर, स्लोगन, नारे आदि नहीं लिखेगा ना ही उक्ताशय की सामग्री चस्पा करेगा।
2. शासकीय/अर्द्धशासकीय संपत्ति जैसे टेलीफोन के खंबे, विद्युत खंबे, शासकीय स्थानों के वृक्ष, रोड डिवाइडर, सार्वजनिक स्थानों पर निर्मित चबूतरे, स्थानीय निकायों द्वारा सौंदर्यीकरण हेतु निर्मित संरचनाओं आदि पर भी झंडे, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स आदि न तो प्रदर्शित किये जाएंगे और न ही लगाए जायेंगे।
3. कार्यक्रम/रैली में अग्नि शमन, विद्युत उपकरण एवं सुरक्षा के पर्याप्त साधन होने चाहिए। कार्यक्रम स्थल पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने पर संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक/आयोजक की होगी।
4. शासकीय सड़क, मार्ग आदि को आर पार/क्रास करती या शासकीय सड़क के समानान्तर झंडिया, लाईट की सीरीज, चांदनी आदि नहीं लगाई जावेगी।
5. आवेदित कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों द्वारा कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु आते-जाते समय यदि सामूहिक रूप से कोई घटना घटित की जाती है तो आवेदक/आयोजनकर्ता उसके लिए उत्तरदायी होंगे।
6. निजी संपत्तियों पर संबंधित भूमि-भवन स्वामी की लिखित अनुमति के बिना कोई प्रचार सामग्री डिस्पले या प्रदर्शित नहीं की जावेगी।
7. उक्त आयोजन में कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय शस्त्र, रॉड इत्यादि नहीं रखेगा अथवा दुरूपयोग नहीं करेगा और न ही प्रदर्शन करेगा. किसी भी प्रकार के आयोजन/उत्सव व समारोह में हवाई फायर वर्जित रहेंगे। किसी भी प्रकार के आयोजन, सभा, उत्सव आदि मे फटाखे/विस्फोटक

मैंने आप एक प्रति प्राप्त किया

Sandip Kum
5/6/26 9616887968

Scanned with OKEN Scanner

सामग्री का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। वैध अनुज्ञप्तिधारी को छोड़ कोई भी व्यक्ति बारूद/फटाखों का संग्रह, निर्माण या परिवहन नहीं करेगा।

8. कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष किसी भी सड़क, रोड, रास्तों, हाईवे आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान नहीं करेंगे या किसी अन्य प्रकार से कोई रूकावट उत्पन्न नहीं करेंगे या किसी भी व्यक्ति को आने जाने या उसके कार्य करने से नहीं रोकेंगे।
9. रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक लाउड स्पीकर एवं ध्वनि विस्तार यंत्रों का सार्वजनिक उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
10. शासकीय विश्राम भवन, न्यायालय, चिकित्सालय, जेल, विद्यालय, शासकीय कार्यालय, पुलिस थाना, बैंक, दूरसंचार वाले क्षेत्र में 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तार यंत्रों के प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
11. मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) नियम 2000 यथासंशोधित के नियम 3(1) व 4(1) के अनुसार नियमावली के शेडयूल में Ambient Air Quality Standards in respect of Noise के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों दिन व रात के समय अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गयी है, उक्तानुसार उपयोग किया जाएगा जो निम्नवत है :-

Area Code	Category of Area/Zone	Limits in dB (A)	
		Day Time	Night Time
(A)	Industrial Area	75	70
(B)	Commercial Area	65	55
(C)	Residential Area	55	45
(D)	Silence Zone	50	40

12. उक्त आयोजन शांतिपूर्ण एवं पूर्णतः कानून-व्यवस्था की अपेक्षाओं के अनुरूप आयोजित करने का दायित्व आवेदक एवं उसके सहयोगियों/कार्यकर्ताओं पर होगा।
13. आयोजन में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक नारे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा अश्लील/धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री का उपयोग नहीं किया जावेगा।
14. आयोजनकर्ता का यह दायित्व होगा कि कार्यक्रम स्थल पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं जिला दण्डाधिकारी महोदय सिवनी के द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त आदेशों/निर्देशों का अक्षरतः पालन किया जावेगा।
15. आयोजक सम्पूर्ण प्रोग्राम की वीडियो रिकार्डिंग की सीडी इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
16. आवेदित कार्यक्रम में किसी भी प्रकार से शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक/ आयोजक की होगी।
17. मौका स्थल पर किसी भी प्रकार की अनियमियता पाये जाने पर संबंधित थाना प्रभारी वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र होंगे।
18. उपयुक्त शर्तों के उल्लंघन पर अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी तथा सुसंगत धाराओं के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी
बरघाट, जिला सिवनी

पृ. क्रमांक/ /रीडर/2026 बरघाट, दिनांक /06/2026

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महोदय, जिला सिवनी की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला सिवनी की ओर सूचनार्थ ।
3. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बरघाट की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट बरघाट की ओर सूचनार्थ।
5. थाना प्रभारी बरघाट की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. आवेदक संदीप कुमार चंचल एवं सीडवर्क्स इंटरनेशनल लिमिटेड तहसील बरघाट जिला सिवनी को सूचनार्थ कर लेख है कि उपरोक्त शर्तो का पालन करते हुए शांतिपूर्ण किसान सम्मेलन एवं भजन संगीत कार्यक्रम का आयोजन करें, किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए या शांति भंग होने की स्थिति में उक्त अनुमति स्वमेव समाप्त मानी जावेगी एवं सारी जिम्मेदारी आवेदक एवं समिति की होगी।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी
बरघाट, जिला सिवनी

Scanned with OKEN Scanner